(113)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(35)नविवि / 3 / 2010पार्ट

--परिपत्र--

विषय :— भू—उपयोग परिवर्तन की विस्तृत प्रक्रिया व मानदण्ड के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.04.2010 के बिन्दु सं. 4.4 में निम्न प्रावधान किया गया है :—

"परिधि नियंत्रण क्षेत्र में 25 एकड व उससे बडी समस्त परियोजनाऐं व 10 एकड अथवा उससे बडे महत्वपूर्ण संस्थानों के उपयोगों को छोडकर अन्य सभी प्रकार के भू—उपयोग परिवर्तन निषेध होंगे।"

इस संबंध में टाउनशिप डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान तथा अन्य विकासकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार से निवेदन किया गया है कि इस बाध्यता पर ऐसे प्रकरणों के संबंध में पुर्नविचार किया जावें जहां किसी प्रमोटर/खातेदार द्वारा पूर्व में अपनी अनुमोदित योजनाओं से लगती हुई भूमि का भू—उपयोग परिवर्तन करवाया जा रहा हो। अतः राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पुर्नविचार किया जाकर निम्न निर्णय लिया गया है :—

1. परिधि नियंत्रण क्षेत्र में 25 एकड के स्थान पर 5 एकड की बाध्यता रहेगी। राज्य सरकार के स्तर पर इसमें शिथिलता दी जा सकेगी।
2. यदि किसी प्रमोटर/खातेदार द्वारा अपनी पूर्व में अनुमोदित योजनाओं से लगती हुई भूमि के भू—उपयोग परिवर्तन का आवेदन किया जाता है तो उस पर 5 एकड क्षेत्रफल की बाध्यता नहीं होगी।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, नगर आयोजना एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. निदेशक जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

DTP(SLC)

Circulate

(284)